विधान परिषद के द्वितीय सत्रः 2023 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूँछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–18 का उत्तरः–

प्रश्न	उत्तर
18 (क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 19.09.2022 को इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2022 सदन की मेज पर रखा गया था ?	जी नहीं। इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2022 दिनांक 06 सितम्बर, 2022 को प्रख्यापित किया गया। उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022 दिनांक 22 सितम्बर, 2022 को सदन की मेज पर रखा गया तथा उसी दिन पारित हो गया। तत्पश्चात् इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2022 की अधिसूचना दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को जारी की गयी।
(ख) यदि हॉ, तो इसके उद्देश्य व कारण क्या थे ?	इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2022 के उद्देश्य और कारण निम्नवत् हैः– राज्य में माध्यमिक शिक्षा प्रणाली और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का विनियमन तथा पर्यवेक्षण करने हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना करने के लिए इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम –1921 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1921) अधिनियमित किया गया है। परिषद की शक्तियाँ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 7 में उल्लिखित हैं। वर्ष 1987 में एक नई धारा 7–क बढ़ायी गयी जिसके खण्ड–क में यह उपबंधित है कि परिषद, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी संस्था को किसी नये विषय या विषय समूह में या किसी उच्चतर कक्षा के लिये मान्यता प्रदान कर सकती है। उक्त धारा के अनुसरण में परिषद द्वारा नये विद्यालयों को मान्यता प्रदान की जाती रही। मा0 उच्च

न्यायालय ने विशेष अपील संख्या 25/2006 (मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में यह स्पष्ट किया है कि वास्तव में धारा 7क(क) में बोर्ड को, नवीन स्ववित्तपोषित विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति का उपबंध नहीं है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत् रखते हुये, उक्त विसंगति का निराकरण करने के लिये पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 7 को संशोधित किये जाने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 06 सितम्बर, 2022 को इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2022) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

(ग) क्या वह इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2022 द्वारा अधिनियम बना?

उपर्युक्त बिन्दु (क) के अनुसार।

(घ) उक्त अधिनियम की प्रभावी तिथि कब से होगी तथा यह अधिनियम पूर्व से संचालित विद्यालयों एवं शिक्षकों/कर्मचारियों पर प्रभावी होगा ?

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2022 दिनांक 06 सितम्बर, 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा तथा यह अधिनियम पूर्व से संचालित विद्यालयों पर लागू नहीं होगा।

गुलाब देवी

मंत्री।

Qvsa